


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 6, 2016/भाद्र 15, 1938

No. 619]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 6, 2016/BHADRA 15, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 855(अ).—केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल (क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निर्बंधन और शर्तें और भत्ते) नियम, 2006 के नियम 8 के उप-नियम (1) के साथ पठित लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 3 अक्टूबर, 2007 में संख्यांक सा.का.नि. 1693(अ), तारीख 3 अक्टूबर, 2007 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (3) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(3) श्री प्रवीर कुमार,
प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-1,
सं. 1, काउन्सेल हाउस स्ट्रीट,
कोलकाता-700001।

सदस्य"

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 2/23/2006-पीआई]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव